

धारा 71 : कारबार परिसरों तक पहुंच

- (1) संयुक्त आयुक्त से अन्यून पंक्ति के समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी ऐसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, को करने के प्रयोजनों के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियां, दस्तावेजों, कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर प्रोग्रामों, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, चाहे किसी कम्प्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा के निरीक्षण के लिए और ऐसी अन्य चीजों तक, जिनकी वह अपेक्षा करे और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, पर पहुंच होगी।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापरीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखापाल या चार्टर्ड अकाउंटेंट को—
- (i) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है ;
- (ii) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य;
- (iii) सम्यक्तः लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं का विवरण, जहां अपेक्षित हो;
- (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो;
- (v) आय—कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के अधीन आय—कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो; और उनके अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिए, उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गई थी, पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध कराएगा।
- (vi) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख, उनके अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिए, उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गई थी, पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध कराएगा।